न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 123 / 2019

नीरजगुप्ता पुत्र रमनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर

बनाम

तहसीलदार, नगर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 05.12.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री नीरज गुप्ता पुत्र रमनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 26.07.2019 के द्वारा तहसीलदार, नगर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक 9905 दिनांक 01.11.2019 के संलग्न प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक /कोर्ट /970 दिनांक 06.11.19 से तहसीलदार, नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, नगर से जबाब प्राप्त हुआ। जो संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, नगर द्वारा वांछित सूचनाऐं अपूर्ण व अस्पष्ट उपलब्ध कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, नगर से पूर्ण सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नगर से प्राप्त जबाव (पत्र क्रमांक 106 दिनांक 20.11.2019) का अवलोकन किया । तहसीलदार नगर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त परिपत्र(राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर क्रमांक/एफ()आ0क0व/डीडीबीसी/सान्यावि/19/14278 जयपुर दिनांक 12.03.2019) की प्रति दी जा चुकी है और प्रार्थी को कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है । किन्तु तहसीलदार नगर द्वारा उक्त पत्र की ताईद में न तो प्रार्थी को दी जाने वाली सूचनाओं की प्रतियां ही संलग्न की हैं और न प्रार्थी को कार्यालय के किस क्रमांक व दिनांक से सूचनाऐं उपलब्ध कराई गईं, का उल्लेख अपने जबाव में किया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार, नगर ने अपीलार्थी को स्पष्ट व पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, नगर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: